



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट याचिका सी संख्या- 6175 वर्ष 2026

लव यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अध्यक्ष, निकट बाल भवन,
नई दिल्ली

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: शक्ति कुमार शर्मा, दीपाली यादव, जतिन रहेजा, शोभित हर्ष
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शैलेश कुमार पाठक

न्यायालय संख्या -2

माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्देश कुमार चौधरी

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित सारवान अनुतोष की मांग की है:-

"(1). उत्प्रेषण रिट, आदेश या निर्देश जारी कर अखिल भारतीय बार परीक्षा-20 के

याचिकाकर्ता के आक्षेपित परिणाम को निरस्त और अपास्त किया जाए, जिसके द्वारा

याचिकाकर्ता को 'अनुत्तीर्ण' घोषित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया मनमाना, त्रुटिपूर्ण और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(II). परमादेश रिट, आदेश या निर्देश जारी कर विपक्षी/भारतीय विधिज्ञ परिषद को निर्देशित किया जाए कि वे मूल ओ.एम.आर. शीट/उत्तर पुस्तिका संख्या 6182424, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अपलोड की गई अंतिम उत्तर कुंजी और याचिकाकर्ता के मूल्यांकन अभिलेखों को इस माननीय न्यायालय के समक्ष भौतिक सत्यापन और इस माननीय न्यायालय द्वारा पुनः मिलान हेतु प्रस्तुत करें।

(III). परमादेश रिट, आदेश या निर्देश जारी कर विपक्षी को निर्देशित किया जाए कि वे मूल्यांकन में हुई तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि को सुधारें, याचिकाकर्ता के अंकों का पुनः मिलान करें, जो कि अंतिम सत्यापित उत्तर कुंजी के अनुसार हो, और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को ए.आई.बी.ई.-20 परीक्षा में 'उत्तीर्ण' घोषित किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने प्रश्न पुस्तिका सेट कोड के लिए प्रदान की गई ओएमआर शीट के चौथे कॉलम में 'डी' अंकित किया है, तथापि, सद्भावी कारणों से वह संबंधित ओवल (वृत्त) को काला करना भूल गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त ओएमआर को चिह्नित करने में अनजाने में त्रुटि हुई है, किंतु पर्यवेक्षक की भूमिका भी लापरवाहीपूर्ण रही है क्योंकि ओएमआर शीट में 'पर्यवेक्षक के लिए महत्वपूर्ण निर्देश' शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हस्ताक्षर करने से पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी ने अपना सही अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड और भाषा भर दी है।

4. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता की ओएमआर उत्तर पुस्तिका में त्रुटि यह थी कि उसने चौथे कॉलम में प्रश्न पुस्तिका सेट कोड के संबंध में ओवल क्षेत्र को काला नहीं किया था। परिणामस्वरूप, मशीन ने उसके उत्तरों का गलत मूल्यांकन किया और उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया।

5. हमने प्रतिवादी-भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता से पूछताछ की कि क्या प्रश्न पुस्तिका संख्या 'डी', जो कि सही पुस्तिका थी, के संदर्भ में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मैनुअल सत्यापन करने पर याचिकाकर्ता वास्तव में अखिल भारतीय बार परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता वास्तव में परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है।

6. उपरोक्त के दृष्टिगत और विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में, जहाँ हमने पाया है कि याचिकाकर्ता वास्तव में उत्तीर्ण हो चुका है, हम भारतीय विधिज्ञ परिषद को निर्देश देते हैं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका का मैनुअल सत्यापन कराए, यह ध्यान में रखते हुए कि एआईबीए परीक्षा उत्तीर्ण करना प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जो कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को भारत में किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने और उपस्थित होने की अनुमति देता है।

7. हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि ऐसे सत्यापन पर याचिकाकर्ता परीक्षा में उत्तीर्ण पाया जाता है, तो उसे सफल घोषित किया जाएगा और उत्तीर्ण अभ्यर्थी माना जाएगा।

8. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने एआईबीए परीक्षा के नियमों और विनियमों का परीक्षण नहीं किया है और वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामले का निस्तारण किया है, और इस प्रकार, इसे किसी अन्य मामले में नजीर (मिसाल) के रूप में नहीं माना जाएगा।

3 जून , 2026

प्रवीण

(न्यायमूर्ति श्री अब्देश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।